

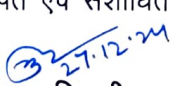
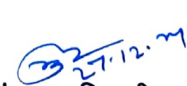
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से

जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 18/2021— 22

केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27.12.2024	—:आदेश: — यह विविध वाद अभिलेख सं०— 18/2021— 22 आवेदक जगदीश सिंह, पिता— स्व० हुलास सिंह, साकिन— देवपुर, पो०— फुलवरिया, थाना— नवलशाही, जिला— कोडरमा के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 02 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है : — 1. मौजा— खैरासिंगा, थाना नं०— 62 के अन्तर्गत खाता सं०— 10, खेसरा सं०— 116, रकवा—1.73 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म जमीन परती कदीम दर्ज है। 2. वादगत भूमि से संबंधित स्थल जाँच के समय आवेदक जगदीश सिंह पिता स्व० हुलास सिंह, साकिन— देवपुर, पो०— फुलवरिया, थाना — नवलशाही जिला— कोडरमा के द्वारा बताया गया कि मेरे पिता हुलास सिंह सा०— खैरासिंगा के नाम से खाता सं०— 10/2, खेसरा सं०— 116, रकवा— 0.54 डी० फर्द रिपोर्ट अमीन बाबद के तहत भूमि हासिल है। जिसपर हमलोग पूर्व में हिस्सा के अनुसार 18 डी० पर जोत आवाद करते थे। लेकिन वर्तमान में कोडरमा जिला में कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा हिस्सा का जमीन रकवा 0.18 डी० पर मेरा भतिजा दुर्गा राय पिता स्व० जानकी राय, साकिन— खैरासिंगा, थाना— धनवार के द्वारा जबरदस्ती जोत आवाद कर रहा है। उक्त भूमि पर दुर्गा राय के द्वारा मकान भी बना लिया गया है। वादगत भूमि से संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया कागजात अपठनीय है। 3. द्वितीय पक्ष दुर्गा राय पिता— स्व० जानकी राय, साकिन— खैरासिंगा का स्थल जाँच के समय बुलाया गया तो जाँच के समय नहीं आ सका जबकि दुर्गा राय घर पर ही था। स्थल जाँच से ऐसा प्रतीत होता है कि वादगत भूमि पर दुर्गा राय के द्वारा जबरदस्ती जोत आवाद किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को वादगत भूमि से संबंधित मूल कागजात की मांग करते हुए अग्रत्तर कार्रवाई की जा सकती है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया। दिनांक— 23.12.2024 को उभय पक्ष उपस्थित होकर बताए कि उभय पक्षों में समझौता हो गया है। तथा उभय पक्षों ने वाद की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया। चूँकि उभय पक्ष में समझौता हो गया है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्रवाई बंद किया जाता है। विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	